BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH AT KOLKATA

ORIGINAL APPLICATION NO. 48 OF 2025

Amit Kumar Mit .... **APPLICANT/PETITIONER**

-VERSUS-

State of Jharkhand through secretary,

Mines and Geology Department .... **RESPONDENTS**

REJOINDER ON BEHALF OF PETITIONER TO THE COUNTER AFFIDAVIT FILED BY RESPONDENT NO. 12

I, Amit Kumar Mit Aged about 44 years Son of Sri Bindeshwari Prasad Singh Resident of Narottampur, P.S.- Hanwara, P.O.-Vishwaskhani, District-Godda-814155 do hereby solemnly affirm and state that:

1. I am the petitioner in this matter and I am competent to file this Rejoindenr affidavit in reply to the counter affidavit filed on behalf of the Respondent No. 12 i.e. Deputy Magistrate Godda, Jharkhand.
2. That it is stated that the counter affidavit on behalf of Respondent No. 12 i.e. Deputy Magistrate Godda, Jharkhand is filed by the District Mining Officer, Godda.
3. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 02.04.2025 has constituted a committee to make an inspection and thereafter it was directed to submit a report before this Hon'ble Tribunal.
4. That in compliance of the order dated 02.04.2025 a counter affidavit bringing on record the inspection report is filed on behalf of the Respondent No. 12.

Scanned with OKEN Scanner

X

5. That the Respondent No. 12 in it's report has stated that they have not found any illegal activity of sand mining at the 4 spots of Sundar River and Geruwa River which is denied and disputed by the petitioner.

6. That the petitioner state that illegal sand mining is still going on at Sundar River and Geruwa River and by filing instant counter affidavit the Respondent No. 12 is trying to give clean cheat to the persons involved in illegal sand mining at the above mentioned rivers.

7. That the finding of the committee that the foundation of the bridge were submerged under water is an concocted story and are not true rather the same happened due to illegal sand mining.

8. That it is pertinent to mention here that for having an illegal sand mining the Mining Inspector, District Mining Office, Godda has recently lodged several FIRs wherein it is mentioned that illegal sand mining is being carried out. Detail of few of the FIRs which the petitioner has obtained by way of certified copy may be given herein after as under:

FIR Details	Particulars
Hanwara PS Case No. 15/2025 dt. 08/04/2025	**Date of incident**:08.04.2025 **Allegations in brief**: a surprise inspection/raid of various sand ghats of the river under Hanwara police station on 08.04.2025. On reaching the sand ghat of Mauja Biswaskhani located on the Gerua river at around 02:20 pm, about 20 (twenty) small heaps of sand were found in the river around Coordinate 25.044175N 87.169868E, but no vehicle or person was found present in the river. On

OFFICE OF THE NOTARY
L. No- 215/04
Mithilesh Kr. Jha
Govt. of Jharkhand
GODDA (JH.)

Scanned with OKEN Scanner

	assessing the heaped sand, about 1,200 cubic feet of sand was found. Similarly, on reaching Mauja Narottampur sand ghat situated on Gerua river at around 3:05 pm, 04 (four) small heaps of sand were found in the area of the said river at Coordinate 25.04999N 87.173639E, but no vehicle or person was found present in the river, on assessing the said heaps of sand, about 300 cubic feet of sand was found. From the observation of the above mentioned places, it appears that in the past, the said heaps of sand (store) has been created in the river by illegally mining sand from the river area.
Hanwara PS Case No. 21/2025 dt. 03/06/2025	**Date of incident:**01.06.2025 **Allegations in brief:** A Tractor is intercepted at 20:30 Hrs. illegally carrying 100 Cft. sand at Dahiya Village. It is stated that the said village is within the range of Geruwa River.
Hanwara PS Case No. 20/2025 dt. 20/05/2025	**Date of incident:**20.05.2025 **Allegations in brief:** On the basis of pictures/videos taken through google map circulated in the social media Mines Inspector has taken cognizance of the matter and has lodged a FIR.

OFFICE OF THE NOTARY
L. No- 215/04
Mithilesh Kr Jha
Govt of Jharkhand
GODDA (JH.)

Scanned with OKEN Scanner

X

Photo Copy of Relevant extract of Hanwara PS Case No. 15/2025 dt. 08/04/2025, Hanwara PS Case No. 21/2025 dt. 03/06/2025 and Hanwara PS Case No. 20/2025 dt. 20/05/2025 are annexed herewith and marked as **Annexure-P1**.

9. That, save and except what has been expressly admitted in this rejoinder affidavit all other averments made in the counter affidavit filed by the Respondent No. 12 are denied and disputed. However the petitioner crave leave of this Hon'ble Tribunal to file further affidavit or para wise reply as per the direction of this Hon'ble Tribunal.

10. That this rejoinder affidavit is being filed bonafide and in the interest of justice.

11. That it is stated that the statements made in para nos. 1-7, 9-10 are true to my knowledge, those made in para nos. 8 are based upon information derived from the records of the case and rests are by way of submissions before this Hon'ble Court.

12. That the annexure are the true copy and certified copy of their respective original.

Identified by
Subodh Chandra Jha
Adv Godda
29.7.25

Amit Kumar Mit
29/7/25

OFFICE OF THE NOTARY
L. No- 215/04
Mithilesh Kr Jha
Govt of Jharkhand
GODDA (JH.)
29.7.25

Scanned with OKEN Scanner

X

VERIFICATION

I, Amit Kumar Mit Aged about 44 years Son of Sri Bindeshwari Prasad Singh Resident of Narottampur, P.S.- Hanwara, P.O.-Vishwaskhani, District-Godda-814155 do hereby solemnly verify that the contents of rejoinder affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and noting has been concealed there from.

Verified at Godda on this 29th day of July, 2025.

Identified by
Subodh Chandra Jha
(Adv)
Godda
29.7.25

Amit Kumar Mit
Amit
29/7/25
Deponent

OFFICE OF THE NOTARY
L. No- 215/04
Mithilesh Kr. Jha
Govt. of Jharkhand
GODDA (JH.)

29.7.25

Annexure-P1

प्रेषक :

खान निरीक्षक,
जिला खनन कार्यालय,
गोड्डा।

सेवा में,

थाना प्रभारी,
हनवारा थाना।

दिनांक : 08 अप्रैल, 2025

विषय : प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु दिनांक 08.04.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा हनवारा थाना अन्तर्गत नदी के विभिन्न क्षेत्रों/बालूघाटों का औचक निरीक्षण/छापामारी किया गया। समय लगभग 02:20 बजे अपराह्न में गेरूआ नदी स्थित मौजा-बिश्वासखानी बालूघाट पहुँचने पर नदी में Coordinate 25.044175N 87.169868E के आसपास छोटे-छोटे लगभग 20 (बीस) बालू का ढेर किया हुआ पाया गया, परन्तु नदी में कोई वाहन अथवा व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया, ढेर किये गये बालू का आकलन करने पर लगभग 1,200 घनफुट बालू पाया गया।

इसी प्रकार समय लगभग 3:05 बजे अपराह्न गेरूआ नदी स्थित मौजा- नरोत्तमपुर बालूघाट पहुँचने पर उक्त नदी के क्षेत्र में Coordinate 25.04999N 87.173639E पर छोटे-छोटे 04 (चार) बालू का ढेर किया हुआ पाया गया, परन्तु नदी में कोई वाहन अथवा व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया, उक्त ढेर का आकलन करने पर लगभग 300 घनफुट बालू पाया गया। उपरोक्त स्थलों का अवलोकन से प्रतित होता है कि पूर्व में नदी के क्षेत्र से बालू का अवैध खनन कर नदी तल में उक्त ढेर (भंडार) बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि अबन्दोवस्त बालूघाटों में बालू का ढेर बनाना अथवा उसका उठाव करना अवैध है तथा यह कृत्य झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम- '4' एवं '54' तथा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules. 2017 के नियम- '9' एवं '13' का उल्लंघन एवं दण्डनीय है साथ ही यह सरकारी सम्पत्ति एवं राजस्व के चोरी का भी मामला बनता है।

अतः अनुरोध है कि नदी तल में किये गये अवैध भंडारण को बन्द कराते हुए तथा आरोप की जाँच करते हुए इस कृत्य में संलिप्त अज्ञात व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध उपरोक्त नियमों/धाराओं के साथ-साथ अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
(प्रभात कुमार सिंह)
08/04/25
खान निरीक्षक,
पता- जिला खनन कार्यालय, गोड्डा
थाना-गोड्डा नगर, जिला- गोड्डा,
राज्य- झारखण्ड।

Registered Hanwara P.S. case no- 15/2025, dt- 08/04/2025 u/s- 4/54 JMMC Act 2004 & 9/13 JMMR Act 2017, I will investigate this case.
08/04/25
OC
Hanwara P.S.

प्रेषक :

खान निरीक्षक,
जिला खनन कार्यालय,
गोड्डा।

सेवा में,

थाना प्रभारी,
हनवारा थाना।

दिनांक : 03 जून, 2025

विषय : प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग : आपका ज्ञापांक 278/2025, दिनांक 01.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.06.2025 को हनवारा थाना जाकर सुरक्षार्थ रखे बालू लदे वाहन की जाँच किया गया। जाँच के क्रम में ट्रैक्टर/टेलर का निबंधन संख्या- अंकित नहीं पाया गया, जब्त ट्रैक्टर लाल रंग के महिन्द्रा कं० का जिसका मॉडल नं०- MAHINDRA B275 DI पाया गया तथा उक्त ट्रैक्टर का इंजन नं०- NJD2EAJ0154, चेचिस नं०- MBNABAEXTJJD01730 एवं ट्रैक्टर के टेलर पर लगभग 100 घनफुट बालू लदा हुआ पाया गया। प्रसांगिक पत्र में उल्लेख है कि "*.......... दिनांक 01.06.2025 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सिमराकिता की तरफ से दहिया के तरफ एक बालू लदा ट्रैक्टर आ रहा है। इस सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु मैं थाना प्रभारी पु०अ०नि० राजन कुमार राम दल बल के साथ दहिया गांव में समय करीब 20:30 बजे पहुँचे तो उक्त बालू लदा ट्रैक्टर का चालक पुलिस वाहन को देखते ही ट्रैक्टर छोडकर भाग गया। जब ट्रैक्टर के पास जाकर देखा तो महेन्द्रा ट्रैक्टर लाल रंग का जिसमें बालू लदा पाया गया। काफी इंतजार करने के बाद भी उक्त ट्रैक्टर में बालू लोड से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुए। उक्त महेन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल नंबर- MAHINDRA B275 DI, निबंधन संख्या- अंकित नहीं, इंजन नंबर- NJD2EAJ0154 एवं चेचिंस नंबर- MBNABAEXTJJD01730 का जाँच किया परन्तु किसी प्रकार का चालान या कागज प्राप्त नहीं हुआ। उक्त ट्रैक्टर को पुलिस बल के सहयोग से थाना लाया गया, थाना परिसर में जगह नहीं रहने के कारण थाना के बाहर सुरक्षार्थ रखा गया है।.......*"

प्रसांगिक पत्र से स्पष्ट है कि उक्त वाहन के द्वारा बालू का अवैध रूप से उठाव कर परिवहन किया जा रहा था, जो MMDR Act, 1957 के नियम- '4' एवं '21' एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम- '4' एवं '54' तथा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम-

Registered Hanwara P.S. Case No. 91/2025, dt. 03/06/2025, u/s- 303(2) B.N.S. & 4/54 JMM Act & 4/21 MMDR Act 1957 & 9/13 JMMR Act 2017. P.S.I Ram Pravesh Yadav will investigate this case.
(Signature) 03/06/25

Seen
(Signature) 6.6.25

678

'9' एवं '13' का उल्लंघन एवं दण्डनीय है साथ ही यह सरकारी सम्पत्ति एवं राजस्व के चोरी का भी मामला बनता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त ट्रैक्टर के मालिक एवं चालक के साथ-साथ इस अवैध कृत्य में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध उपरोक्त धाराओं एवं नियमों के साथ-साथ अन्य सुसंगत धाराओं/नियमों के तहत् प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभात कुमार सिंह)
05/06/25
खान निरीक्षक,
पता- जिला खनन कार्यालय, गोड्डा
थाना-गोड्डा नगर, जिला- गोड्डा,
राज्य- झारखण्ड।

अनुलग्नक : 1. जब्ती सूची की मूल प्रति,
2. प्रसांगिक पत्रों की छायाप्रति।

कार्यालय प्रतिलिपि विभाग व्यवहार न्यायालय गोड्डा

7/8

प्रेषक :

खान निरीक्षक,
जिला खनन कार्यालय,
गोड्डा।

सेवा में,

थाना प्रभारी,
हनवारा थाना।

दिनांक : 20 मई, 2025

विषय : प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।
प्रसंग : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महागामा का ज्ञापांक 858/अनु०पु०पदा०, दिनांक 14.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि *"सोशल मीडिया के माध्यम से हनवारा थाना क्षेत्र अन्तर्गत विश्वासखानी एवं नरोत्तमपुर घाट का गूगल मैप के माध्यम से ली गई कई एक तस्वीरे/वीडियों प्राप्त हुए है, जिसमें विश्वासखानी और नरोत्तमपुर घाट के अन्दर चारपहिया वहानों/मोटरसाईकिल के परिचालन, बालू खनन भण्डारण के चिन्ह् दिख रहे है और कुछ व्यक्तियों के द्वारा बालू एकत्रित करने, बोरियों में भरने तथा मोटरसाईकिल से अवैध परिवहन करते हुए देखा जा रहा है, जो अवैध रूप से बालू खनन एवं परिवहन की ओर ईशारा कर रहे हैं।"*

प्रसांगिक पत्र में प्रतिवेदित आरोप, MMDR Act, 1957 के धाराओं - '4' एवं '21', झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम- '4' एवं '54' तथा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम- '9' एवं '13' का उल्लंघन एवं दण्डनीय है साथ ही यह सरकारी सम्पत्ति एवं राजस्व के चोरी का भी मामला बनता है।

अतः अनुरोध है कि प्रसांगिक पत्र में उल्लेखित आरोप की जाँच करते हुए इस अवैध कृत्य में संलिप्त अज्ञात व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध उपरोक्त नियमों/धाराओं के साथ-साथ अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभात कुमार सिंह)
20/05/25
खान निरीक्षक,
पता- जिला खनन कार्यालय, गोड्डा
थाना-गोड्डा नगर, जिला- गोड्डा,
राज्य- झारखण्ड।

कार्यालय प्रतिलिपि विभाग, व्यवहार न्यायालय, गोड्डा — सत्यमेव जयते

Received and Registered Hanwara P.S. Case No- 20/2025, dt- 20/05/2025, u/s- 4/54 JMMC Act & 4/21 MMDR Act 1957 & 9/13 JMMR Act 2017, 9 will investigate this case.
20/05/25
OC Hanwara P.S.

Seen
22/5/25

यूको बैंक
जारी करने वाली शाखा,

UCO Bank
ISSUING BRANCH

GODDA

कूट सं. CODE NO. 1818

केवल तीन महीने के लिए वैध VALID FOR THREE MONTHS ONLY

29-07-2025
D D M M Y Y Y Y

माँगे जानेपर ON DEMAND PAY *****REGISTRAR NATIONAL GREEN TRIBUNAL***** को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES One Thousand only

अदा करें ₹ *************1,000.00

मूल्य प्राप्त VALUE RECEIVED

Purchaser AMIT KUMAR MIT

कृते यूको बैंक
For UCO Bank

****** Not Over INR. 1,000.00 ******

1742001

अदाकर्ता शाखा/DRAWEE BRANCH
SERVICE BRANCH, NEW DELHI 110

स. प्रबन्धक/ Asst. MANAGER
(कार्मिक स. / EMP. NO 62270)

प्रबन्धक / MANAGER
(कार्मिक स. / EMP. NO 55365)

Please sign above

RAN/DD/001

⑈657150⑈ 000028000⑆ 16